



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15—दिसम्बर 21, 2012 (अग्रहायण 24, 1934)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15—DECEMBER 21, 2012 (AGRAHAYANA 24, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	1163	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1237	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1855	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1885
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के जिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	12895
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1025
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

*आंकड़े प्राप्य नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1163	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1237	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1855	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1885
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations *		PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	12895
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1025
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 नवम्बर 2012

“इ-प्रमाण : इ-अधिप्रमाणन के लिए फ्रेमवर्क”

सं. 3(23)/2011-ईजी-II--जबकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय इ-शासन योजना (एनईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य एनईजीपी के विजन वक्तव्य में सुस्पष्ट किए अनुसार लोगों को उनके घर के पास सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करना है : “सभी सरकारी सेवाओं को एक आम आदमी के आस पास सामान्य सेवा प्रदायगी आउटलेट के माध्यम से उपलब्ध कराना और आम आदमी की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए उक्त सेवाओं को दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ वहनीय लागतों पर उपलब्ध कराना”

और यह कि भारत सरकार की आनलाइन और मोबाइल आधारित सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं को लागू करने से प्रयोगकर्ताओं की पहचान की इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन की आवश्यकता महसूस की गई ताकि प्रत्येक सेवा या लाभ एक सुरक्षित रीति से वास्तविक प्राप्तकर्ता तक पहुंचे इसके अलावा उपयोगकर्ताओं में विश्वास बढ़ाने के लिए सरकारी वेबसाइटों के इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाण की आवश्यकता भी महसूस की गई।

और यह कि इस फ्रेमवर्क के अनुसार देश में सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन तथा मोबाइल आधारित सुरक्षित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध तरीके से इ-अधिप्रमाणन को क्रमिक रूप से अपनाने और उसके नियोजन के लिए भारत सरकार को समर्थ बनाने हेतु “इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन (इ-प्रमाणन) पर एक सुव्यवस्थित फ्रेमवर्क” अनिवार्य है।

और यह कि, सक्षम प्राधिकारी ने इ-अधिप्रमाणन (इ-प्रमाणन) के लिए फ्रेमवर्क को अनुमोदित कर दिया है।

- (i) अब यह विभाग एतद्वारा <http://egovstandards.gov.in> तथा www.mit.gov.in पर प्रकाशित इ-अधिप्रमाणन के लिए फ्रेमवर्क के उपयोग को अधिसूचित करता है जिसके तहत भारत सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है :
- (क) सार्वजनिक सेवाओं की सुरक्षित तरीके के प्रदायगी के लिए प्रयोगकर्ताओं का इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन
- (ख) सरकारी वेबसाइटों का इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन ताकि प्रयोक्ताओं में विश्वास बनाया जा सके; तथा
- (ग) सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा अपनी इलेक्ट्रॉनिकी सेवाओं की प्रदायगी के लिए एक साझा संरचना का उपयोग करना ताकि अधिप्रमाणन मूल संरचना की पुनरावृत्ति से बचा जा सके, लागत और प्रयास में कमी हो सके और सेवाओं की त्वरित प्रदायगी भी सुनिश्चित हो सके।

अधिसूचना की तारीख से

गौरव द्विवेदी
निदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 22nd November 2012

"e-Pramaan : Framework for e-Authentication"

No. 3(23)/2011-EG-II—WHEREAS Department of Electronics and Information Technology (DeitY), Ministry of Communication & Information Technology, Government of India (GoI), is implementing the National e-Governance Plan (NeGP) that aims to bring public services closer home to the people, as articulated in the Vision Statement of NeGP: "Make all Government Services accessible to the common man in his locality, through common service delivery outlets, an ensure efficiency, transparency, and reliability of such services at affordable costs to realise the basic needs of the common man"

AND WHEREAS, the online and mobile based service delivery mechanisms of Government of India have necessitated electronic authentication of the identity of the users so that each service or benefit reaches its intended recipient in a secured manner. It has also necessitated electronic authentication of Government websites in order to build trust among the users

AND WHEREAS, a well laid "Framework on electronic Authentication (e-Pramaan)" is essential for enabling the Government of India to progressively adopt and deploy e-Authentication in a time-bound manner to ensure secure online and mobile based delivery of public services in the country in accordance with this Framework.

AND WHEREAS, the Competent Authority has approved the Framework for e-Authentication (e-Pramaan)

- i. NOW, this Department hereby notifies the use of Framework for e-Authentication published on <http://egovstandards.gov.in> and www.mit.gov.in wherein the Government of India aims at
- Electronic authentication of users for the delivery of public services in a secured manner
 - Electronic authentication of Government websites in order to build trust among the users; and
 - The use of a common infrastructure by all Central Ministries and State Governments for delivery of their electronic services in order to avoid duplication of authentication infrastructure, reduce costs and effort, and also ensure faster delivery of services.

With effect from the date of notification.

GAURAV DWIVEDI
Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012